न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

नरेन्द्र

बनाम

श्रीमती अंगूर इत्यादि

उपस्थित

1. श्री प्रकाश भाटी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

आदेश

दिनांक 05 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 549/2022 अनवान श्रीमती अंगूर बनाम धन्नाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 नवंबर 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम आसोप के खसरा नम्बर 3070 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3469/1 रकबा 1.9587 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3481 रकबा 3.1404 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3482 रकबा 7.0577 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3483 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसर नम्बर 3484 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3098/1 रकबा 0.34642 हैक्टेयर रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमि नहीं होकर अपीलांट को बख्शीश/वसीयत में प्राप्त भूमि है। रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया है। कानूनन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनों पक्षों

	के अभिवचनों को कंसीडर करते हुए, कारण सहित आदेश पारित करना होता है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पारित Non-Reasoning आदेश है एवं आक्षेपित आदेश Non-Reasoning आदेश होने के कारण हर दृष्टि से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट्स की ओर से वादग्रस्त आराजी स्व. गोपाराम जी के नाम की होने के संबंध में जमाबंदी/खतौनी बन्दोबस्त, पर्चा लगान इत्यादि पेश नहीं किये है, जबकि उक्त खसरान् की भूमियों का पर्चा लगान श्री धन्नाराम जी के नाम से जारी हुआ था। वादग्रस्त भूमियॉ कतई गोपाराम जी के नाम की नहीं रही है एवं जब वादग्रस्त भूमियॉ गोपाराम जी की नहीं रही तो ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 को उक्त खसरान की जमीनों को पैतृक बताकर वाद पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 01 02 ने धन्नाराम पुत्र श्री गोपाराम के नाम की खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2011 पेश की है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि धन्नाराम जी की स्वअर्जित भूमि है एवं धन्नाराम जी के जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 को वाद पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। हकीकत यह है कि खसरा नम्बर 3068, 3069, 3481 3884. 3883 3884, 3070 3098 3108 व 3111 कुल खसरे 10 कुल रकबा 174 बीघा 05 बिस्वा भूमि धन्नाराम जी की खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है। धन्नाराम जी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमियों का बंटवारा सन् 1974 अपने पुत्र परसराम व रामनिवास के बीच में किया था एवं उस समय अपीलार्थी नाबालिग था एवं अपीलार्थी को कृषि भूमि से वंचित करने की नियत से कोई हक व हिस्सा नहीं दिया गया। परसराम के बंट में खसरा नम्बर 3069, 3098 कुल खसरा नम्बर 02 कुल रकबा 45 बीघा 07 बिस्वा भूमि बंट में रखी गई। रामनिवास के बंट में खसरा नम्बर 3060, 3111 3108 कुल खसरा नम्बर 03 कुल रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखी गई। शेष भूमि स्वर्गीय श्री धन्नाराम जी के बंट में रखी गई। वर्ष 2005 से पहले प्रत्यर्थी अंगूर का कानूनन उक्त भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं था। बंटवाडा विलेख दिनॉक 02.11.1999 अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित हो रखा है तथा दिनॉक 02.11.2007 को आपसी सहमती का इकरारनामा अपीलार्थी के नाम से निष्पादित किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमियों में प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस बाबत नामान्तरकरण सख्या 942 स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार जब परसराम व रामनिवास को हक व हिस्सा प्राप्त हो चुका था, इसके बावजूद इन्होने आपस में	

	मिलीभगत कर उक्त वाद पेश किया है एवं पूर्व में हुए बंटवारा को चुनौती दिये बिना प्रत्यर्थी सख्या 01 व 02 ने उक्त वाद पेश किया है। विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए तथा आदेश में कंसीडर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। यदि श्रीमती अंगूर इतनी स द्भाविक होती तो उसके द्वारा सम्पूर्ण 174 बीघा का बंटवारा का वाद पेश किया जाना चाहिये था, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है, क्योकि श्रीमती अंगूर अपने परिवार सहित ससुराल में निवास करती है एवं उसकी किसी भी खसरें की जमीन पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। श्रीमती अंगूर ने अपने भाईयों रामनिवास व परसराम को फायदा पहुंचाने की नियत से उनसे मिलीभगत कर यह वाद पेश किया है जो कि अपीलार्थी को उसके हक व हिस्से की भूमियों से वंचित करने की नियत से उक्त वाद पेश किया गया है। वाद पेश किये जाने से पूर्व खसरा नम्बर 3482 3483 3098/1 की भूमियों के दो रजिस्टर्ड बख्शीशनामे अपीलार्थी की पत्नि श्रीमती साबु के पक्ष में दिनांक 26.08.2022 को निष्पादित किये गये थे जो उप पंजियक भोपालगढ़ के यहाँ पर दिनांक 26.08.2022 को रजिस्टर्ड किये गये थे। उक्त पंजीबद्ध बख्शीशनामों की जानकारी प्रत्यर्थीगण को शुरू से ही रही है एवं इसके बावजूद श्रीमती साबू को इस वाद व प्रार्थना-पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो वाद व प्रार्थना-पत्र में आवश्यक एवं उचित पक्षकार है। वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 का वाद व प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि स्व. श्री धन्नाराम जी ने प्रत्यर्थी सख्या 01 श्रीमती अंगूर के पक्ष में खसरा नम्बर 3069/1 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 01.11.2019 को निष्पादित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या एक ने उक्त तथ्यों को भी छिपाते हुए वाद पेश किया है। खसरा नम्बर 3070, 3481, 3484 की भूमि अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमियॉ है, जिसका विधि विरुद्ध तरीके से प्रत्यर्थी संख्या 03 की पत्नी श्रीमती शारदा के नाम से दिनांक 07.09.2022 को दस्तावेज तैयार किया गया है, उक्त तथ्यों को भी प्रत्यर्थीगण द्वारा छिपाया गया है। स्व. श्री धन्नाराम जी द्वारा खसरा नम्बर 3481, 3482 3463 3484. 3070, 3098/1 के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में आम मुख्त्यारनामा, बैचान इकरारनामा व वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जिस बाबत स्व. श्री धन्नाराम जी द्वारा प्रत्यर्थीगण के दबाव में आकर पुलिस थाना भोपालगढ में एक प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी,	

	जिसमें एफ. आर. पेश की गई थी एवं एफ. एस. एल. रिपोर्ट में उक्त आम मुख्त्यारनामा. बैचान इकरारनामा व वसीयतनामा स्व. श्री धन्नाराम जी द्वारा निष्पादित किये जाने साबित हुए है। उक्त तथ्यों को भी आदेश में कंसीडर नहीं किया गया है। कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीन बिन्दूओं का निस्तारण करना चाहिए था। प्रत्यर्थीगण द्वारा मामला अपने पक्ष में साबित नहीं किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई एवं अपीलाधीन आदेश दिनाँक 27.11.2024 को अपास्त फरमाया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचारण न्यायालय में वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट स्वयं द्वारा अपने जवाब में वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी भूमि माना है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय द्वारां वाद विचारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने वादग्रस्त आराजी ग्राम आसोप के खसरा नम्बर 3070 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3469/1 रकबा 1.9587 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3481 रकबा 3.1404 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3482 रकबा 7.0577 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3483 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसर नम्बर 3484	

	रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3098/1 रकबा 0.34642 हैक्टेयर को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए वाद मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी धनाराम को उनके पिता गोपाराम से प्राप्त हुई है। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात उनकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान राज्य द्वारा जारी पर्चा नंबर 135 एवं खतौनी बंदोबस्त संवतः 2011-2020 ग्राम आसोप तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात सहित अन्य भूमियॉ धना वल्द गोपा कौम जाट के नाम से दर्ज रही है, जिससे प्रथमदृष्टया यह साबित है कि वादगस्त आराजीयात रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमि न होकर खातेदार धनाराम की स्वअर्जित भूमियॉ रही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 942 ग्राम आसोप के मुताबिक खातेदार धनाराम द्वारा अपने नाम दर्ज कुल 10 खसरान् की रकबा 174.05 बीघा भूमि का तीन रूपये के स्टांप पर स्वयं एवं अपने पुत्रों परसराम एवं रामनिवास के मध्य बंटवाड़ा किये जाने पर तहसीलदार बिलाड़ा के आदेश की पालना में उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। खातेदार धनाराम द्वारा बाद विभाजन अपने नाम दर्ज भूमियों में से खसरा नंबर 3483 रकबा 07 बीघा एवं खसरा नंबर 3484 रकबा 09 बीघा की भूमि पारिवारिक समझौता के अनुसार बंटवाड़ा विलेख दिनांक 02.11.1999 के जरिये अपीलांट के हिस्से में रखा जाना पाया जाता है। इसी प्रकार खातेदार धनाराम द्वारा अपने नाम दर्ज अपनी स्वअर्जित भूमियों के संबंध में समय-समय बख्शीशनामा, सहमति इकरारनामा, बेचान इकरारनामे, वसीयतनामा इत्यादि निष्पादित किये जाने प्रकट होते है। अपीलांट को खातेदार धनाराम से प्राप्त भूमियों उपयोग-उपभोग का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा खातेदार धनाराम के नाम पूर्व में दर्ज सभी भूमियों के रकबा 174.05 बीघा बाबत वाद प्रस्तुत न कर केवल वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्यर्थी परसराम द्वारा खातेदार धनाराम के साथ हुए पूर्व विभाजन के तथ्यों को छिपाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज से वादग्रस्त आराजीयात प्रत्यर्थीगण की पुश्तैनी भूमि साबित नहीं होती है। जिससे प्रथमदृष्टया साबित होता है कि	

	प्रत्यर्थीगण विचारण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 नवंबर 2024 अपास्त किया जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	